न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 467/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राज0 रिसोर्ट एण्ड कैम्प यूनिट डयून सफारी कैम्प सम तहसील व जिला जैसलमेर जरिये पार्टनर उपेन्द्र सिंह राठौड, डयून सफारी कैम्प जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर। 2. जिला कलेक्टर, जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश कमांक 1866 दिनांक 24.05.2003 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता, अपीलाण्ट् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलन्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश कमांक 1866 दिनांक 24.05.2003 से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 11.12.2020 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 11.12.2020 को प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय होने से समय पर जानकारी नहीं मिल सकी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश की गई, जो अपील संख्या 06/2009 के रूप में दर्ज की गई जो कि राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा दिनांक 7.5.2010 को अस्वीकार कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 7753/2017 पेश की गई जिसमें दिनांक 10.1.2018 को यह आदेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित किया गया कि अपीलान्ट राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.5.2003 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त अपील मीमो के अनवान संशोधन हेतु दिनांक 19.7.2018 को आदेश करवाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को दिनांक 10.01.2018 की उक्त आदेश पारित होने की जानकारी हुई। तब अपीलान्ट राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर न्यायालय में आया लेकिन बाडमेर अधिवक्ता संघ की अनिश्चित कालीन हड़ताल होने के कारण समय पर अपील पेश नहीं हो सकी। अपीलान्ट जैसलमेर जिले से है। इस कारण से हड़ताल समाप्त होने की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। ऐसे में जानकारी के अभाव में विलम्ब हुआ है और यह अपील पेश की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट के अन्य न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन थे। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस विषय में कोई काउण्टर शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2020 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त अपीलान्ट की ओर से विचाराधीन अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2020 में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट को ग्राम कनोई के ख0सं0 215 में रकबा 05.00 बीघा भूमि कैम्पिंग साईट के लिये जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.7.2000 के द्वारा आवंटित की गई थी, जिसका कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया गया एवं लीज को भी रजिस्टर्ड करवाया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कैम्पिंग साईट के निर्माण हेतु 10,00,000/– रूपये का व्यय किया गया जिसमें एक पानी का टांका, आंगन, किचन, यूनिट की दीवारे तीन–तीन फीट तक बनाई गई। उक्त आंवटित भूमि का नामा0 संख्या 381 दिनांक 18.7.2001 को स्वीकृत किया गया।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त भूमि के आवंटन होने के पश्चात भूमि आवंटन को जिला कलेक्टर, जैसलमेर के

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा दिनांक 24.8.2000 को निरस्त कर दिया गया, उक्त आदेश में तथाकथित भूमि का आवंटन इस लिहाज से निरस्त कर दिया गया कि उक्त भूमि राष्ट्रीय मरू उद्यान की होने से प्रशासन की गलती से आवंटित की गई थी जिसे निरस्त किया जाना उचित माना गया। उक्त आवंटन निरस्त करने के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उक्त राशि का समायोजन कर भूमि की ऐवज व जमा राशि में बतौर अन्य भूमि जो ग्राम सम के ख0सं0 173 में रकबा 03.00 व ख0सं0 174 में रकबा 02.00 बीघा कुल 05.00 बीघा भूमि का आवंटन अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 25.11.2020 को कर दिया गया। उक्त आवंटित भूमि की लीजडीड दिनांक 23.8.2021 को रजिस्टर्ड की गई। उक्त लीज में उल्लेखित शर्तो के अनुसार अपीलान्ट द्वारा 02 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य करवाया गया एवं काफी निर्माण करवाने के बावजूद कुछ निर्माण कार्य समयावधि में नहीं करवाया जा सका, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि आवंटित भूमि के दो वर्षो के भीतर जैसलमेर जिले में पर्यटकों का आवागमन बहुत कम रहा एवं तत्कालीन समय में भारत–पाक सीमा पर तनाव होने व सीमा पर बहुत बड़ी मात्रा में सेना की तैनातगी से देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बन्द हो गया तथा पर्यटकों के द्वारा पूर्व बुकिंग कैन्सिल करा दी गई। इसलिये पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो गया। पर्यटन व्यवसाय के साथ–साथ अपीलान्ट की कैम्प यूनिट की भी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। इस कारण सम्पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में नहीं करवाया जा सका। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा समय–सीमा बढाने हेतु जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त आवंटन के पश्चात दिनांक 23.8.2001 को जो लीजडीड निष्पादित की गई थी उसमें वर्णित तथ्यों का अपीलान्ट के द्वारा कहीं उल्लंघन नहीं किया गया। इसकी आड़ में उल्लंघन शर्ते मनमाने तरीके से जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा बताई जाकर अपीलान्ट को आवंटित की गई भूमि के आदेश को जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आलौच्य आदेश के सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई और न ही इस बाबत अपीलान्ट को सुना गया। ऐसे में जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश होने से विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त आलौच्य आदेश दिनांक 24.5.2003 में जिन शर्तो का उल्लंघन करना बताया गया है वह अपीलान्ट ने नहीं की है और न ही उन शर्तो का कोई उल्लंघन किया गया है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.5.2003 में यह वर्णित किया गया है कि निर्माण कार्य साधारण ईंट की चुनाई से करवाया जाना था जबकि अपीलान्ट के द्वारा पत्थर से पक्का निर्माण कार्य किया गया है, मात्र इस शर्त का उल्लंघन मान कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है जबकि लीज डीड में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। अपीलान्ट के द्वारा अपने स्वीकृत प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य किया गया है जिसमें कहीं पर भी जैसलमेर पत्थर का प्रयोग निर्माण में नहीं किये जाने बाबत अपीलान्ट को नहीं बताया गया था। पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिये जैसलमेर पत्थर का ही प्रयोग करने का प्रावधान है। इस कारण जैसलमेर को स्वर्णनगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर पत्थर का रंग पीला होता है ओर सुन्दरता व आकर्षण का प्रतीक होता है जबकि ईंट का रंग लाल होता है तथा ईंट का निर्माण कार्य जैसलमेर में कही पर भी नहीं होता है और न ही निर्माण में ईंट का प्रयोग किया जाता है। मात्र इस आधार पर आलौच्य आदेश पारित करना सर्वथा अनुचित व विधि के विरूद्ध है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त ख0सं0 173 व 174 ग्राम सम कैम्प साईट आवंटित होने के पश्चात भूमि पर लगभग 15,00,000/– रूपये से अधिक राशि का व्यय करते हुए पर्यटन को बढावा देने व आकर्षण के लिये सौन्दर्यकरण किया गया है तथा अपीलान्ट के द्वारा ले आउट प्लान व प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ही निर्माण कार्य किया गया है। अपीलान्ट को वर्ष 2009 में नेशनल ट्यूरिस्ट एवार्ड 2007–2008 से भी नवाजा गया था। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2003 एकपक्षीय पारित किया गया था एवं अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने से अपीलान्ट ने दिनांक 7.6.2003 को जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष अपना प्रतिवेदन पेश करते हुए उक्त आदेश का पुनरावलोकन कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया था जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्ट को दिनाक 7.6.2003 को आदेशित किया गया कि तथाकथित आवंटित भूमि के निर्माण कार्य की संशोधित परियोजना रिपोर्ट व ले आउट प्लान

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाये एवं पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित संशोधित परियोजना प्रतिवेदन एवं ले आउट प्लान व सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर होना आवश्यक है। तब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 8.6.2003 को आयुक्त महोदय पर्यटन विभाग, जयपुर को संशोधित प्रोजेक्ट व ले आउट प्लान पेश कर अनुमोदित करने का निवेदन किया गया जिस पर आयुक्त महोदय ने आदेश दिनांक 28.6.2003 को जिला कलेक्टर जैसलमेर को तथाकथित संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट व ले आउट प्लान की एक–एक प्रमाणित प्रतिलिपी भिजवाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये एवं सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.7.03 द्वारा सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर को निर्देशित किया गया कि अपीलान्ट द्वारा पेश संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रस्तावित नक्शे की प्रति के अनुरूप प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाये। अपीलान्ट द्वारा आयुक्त पर्यटन विभाग के आदेश दिनांक 23.9.03 के द्वारा कुछ शर्तो के साथ अपीलान्ट के पक्ष में संशोधित प्रोजक्ट रिपोर्ट एवं ले आउट प्लान के अनुसार ही तथाकथित भूमि पर अपना निर्माण कार्य करवाया गया एवं किसी प्रकार से विधि विरूद्ध एवं अनियमित निर्माण नहीं है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आयुक्त पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के उपरान्त भी जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित हाकर अपीलान्ट द्वारा सचिव, पर्यटन विभाग के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया, जिस पर सचिव, पर्यटन विभाग के द्वारा पृष्ठांकित नोट्स द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर को निर्देशित किया गया तत्पश्चात आयुक्त, पर्यटन विभाग द्वारा भी दिनांक 25.5.2004 के द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर को निर्देशित किया गया कि अपीलान्ट को वर्णित ले आउट प्लान के अनुसार नये सिरे से निर्माण कार्य किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। अपीलान्ट के द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अनुमोदित ले आउट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अवलोकन कर आलौच्य आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया था, इसके बाद भी जिला कलेक्टर जैसलमेर ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, व्यक्ति विशेष व राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलान्ट को कैम्पिंग साईट से जानबूझकर बेदखल करना चाहते है। इसी परिप्रेक्ष्य में ना0 तहसीलदार सम ने भी अपीलान्ट को धारा 91 के तहत नोटिस प्रदान कर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्ट उक्त भूमि पर 08 वर्षो से काबिज है एवं अपीलान्ट के

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरणकी कार्यवाही सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन चल रही है, उसके बावजूद नोटिस जारी कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष दिनांक 17.8.2009 को प्रतिवेदन पेश किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिला कलेक्टर जैसलमेर ने अपने आदेश दिनांक 24.5.2003 के द्वारा आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के भौतिक कब्जे को नजरअंदाज करते हुए उक्त भौतिक कब्जे का कही पर भी कोई पृष्टांकन नहीं किया व सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के आदेश/निर्देश को भी नजरअदांज कर दिया गया।

9. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.5.2003 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 06/2009 अनवान श्रीमती रजना मुदगिल, प्रो0 राज0 रिसोर्ट एण्ड कैम्प यूनिट ड्यून सफारी कैम्प सम बनाम जिला कलेक्टर जैसलमेर पेश की गई थी जो दिनांक 7.5.2010 को खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 7753/2017 दर्ज कर दिनांक 10.1.2018 को आदेश दिया गया कि अपीलान्ट जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.5.2003 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त अपील मीमो के अनवान संशोधन हेतु दिनांक 19.7.2018 को आदेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2003 विधि विरूद्ध, अनियमित, गैरकानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त व मन्सुख किये जाने योग्य है जिसको कभी भी चुनौती दी जा सकती है। उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपील संख्या 7753/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.1.2018 की पालना में यह अपील पेश की जा रही है अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.5.2003 को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2003 के अनुसार अपीलान्ट को उक्त ख0सं0 173 व 174 ग्राम– सम कैम्प साईट आवंटित होने के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा लीज में अंकित की गई शर्तो की समय पर तथा शर्तो के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में जारी भूमि आवंटन आदेश को निरस्त

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया है जो विधि के अनुसार उचित होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2003 को यथावत रखा जावे।

11. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा आदेश क्रमांक 1779 दिनांक 10.04.2001 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सम तहसील जैसलमेर के ख0सं0 173 व 174 में कुल रकबा 05.00 बीघा भूमि का आवंटन कैम्पिंग साईट के प्रयोजनार्थ राज0 औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के तहत लीज होल्ड बेसिस पर किया गया था। अपीलान्ट को उक्त आवंटन पूर्व आदेश क्रमांक 2881 दिनांक 24.7.2000 में अंकित शर्त संख्या 1 से 9 के अनुरूप मौके पर निर्माण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं ले आउट प्लान के अनुसार करवाये जाने तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाने का अंकन किया गया था।

12. उक्त आवंटित भूमि के सम्बन्ध में सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर के द्वारा दिनांक 31.12.2001 को प्रतिवेदन पेश करते हुए आंवटन नियमों की शर्तो के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने का अंकन किया गया जिस पर सहायक कलेक्टरजैसलमेर से जॉच करवाई गई। सहायक कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया कि ले आउट प्लान नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया गया है। तत्पश्चात उक्त जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जैसलमेर ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 21.5.2002, 23.7.2002, 18.12.2002, 3.2.2003 को नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से अपना स्पष्टीकरण जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष उपस्थित होकर पेश नहीं किया गया। जिसके पश्चात जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट/आवंटी को आवंटन आदेश की शर्त संख्या 07 का उल्लंघन करने से शर्त संख्या 09 के तहत आवंटन स्वतः निरस्त होने के आधार पर आवंटित भूमि के आदेश को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.5.2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष पुरावलोकन प्रार्थनापत्र दिनांक 7.6.2003 को पेश किया गया जिसे जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा उनके आदेश

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 20.8.2010 के द्वारा खारिज कर दिया गया तत्पश्चात अपीलान्ट ने उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 5175/2010 प्रस्तुत की गई जिसे भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 1.3.2013 के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त उक्त भूमि पर निर्मित निर्माण/कब्जा हटाये जाने हेतु धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ना0 तहसीलदार सम के द्वारा कार्यवाही की गई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर (मुख्यालय जोधपुर) न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 06/2009 पेश की गई, उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा दिनांक 7.5.2010 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 7.5.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 7753/2017 पेश की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 10.01.2018 के द्वारा खारिज कर दिया गया।

13. तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वारा यह अपील पेश करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 24.5.2003 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को आवंटित की गई भूमि के आवंटन आदेश में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप ही तथा स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार ही मौके पर निर्माण कार्य करवाया गया था, जबकि सहायक कलेक्टर, जैसलमेर, सहायक निदेशक पर्यटन स्वागत केन्द्र एवं ना0 तहसीलदार सम के द्वारा संयुक्त मौका जॉच से कार्य योजना के बिन्दु संख्या 2.1 रेस्टोरेन्ट सर्कुलर या हेक्सीजोनल स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य नहीं करवाया जाना पाया गया। साथ ही बिन्दु सख्या 2.5 में स्टाफ क्वार्टर साधारण ईंट की चुनाई से निर्मित कराया जाना था, जबकि पत्थर से पक्का निर्माण करवाया जाना पाया गया। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 2.6 में स्विस टेन्ट के प्लेटफार्म के ऊपर 6–6 फीट की ऊंची दीवार बनाई गई थी, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार न करते हुए आवंटन आदेश की शर्त संख्या 07 का उल्लंघन पाया गया। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आधार पर ही अपीलान्ट को उल्लेखित आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। आवंटन को निरस्त किये जाने से पूर्व जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने हेतु कई बार नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है परन्तु न तो उनके द्वारा अपना प्रत्युतर पेश किया गया और न ही उल्लेखित निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण उनके समक्ष दर्शाये गये। आवंटन आदेश निरस्त हो जाने के उपरान्त अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था, जिसे भी जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा दिनांक 20.8.2010 को खारिज किया जा चुका है। अपीलान्ट के द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन नहीं किये जाने एवं ले आउट प्लान के अनुसार निर्माण कार्य किये जाने की सत्यता के सम्बन्ध में इस न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत/ दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये गये है जिससे उनके कथनों को बल/समर्थन मिलता हो। मात्र लिखित कथनों के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अनुचित ठहराया जाना तथा निरस्त किया जाना विधि के अनुसार उचित नहीं होगा। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

14. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2003/1866 दिनांक 24.05.2003 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर